62

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः—श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2174—तीन/2000 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 21—08—2000 के द्वारा न्यायालय आयुक्त चम्बल सम्भाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 97/1999—2000/निगरानी

.....

रामसिंह पुत्र हरगोविन्द त्यागी,
निवासी —ग्राम उदन्नपुर, तहसील सबलगढ़,
जिला—मुरैना (म0प्र0)

..... आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन

.....अनावेदक

.....

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदक
श्री राजीव गौतम, शासकीय अभिभाषक, अनावेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 3-11-2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय आयुक्त चम्बल सम्भाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 21—08—2000 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम उदन्नपुर की विवादित भूमि क्रमांक 24 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, क्रमांक 25 रकबा 5 विस्वा तथा क्रमांक 56 रकबा 1 विस्वा पटवारी अभिलेख में चरनोई व पोखर दर्ज है । इस भूमि पर अतिक्रमण करने के लिये आवेदक के विरूद्ध संहिता की धारा 248 के अन्तर्गत तहसील न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण क्रमांक 1007/92—93/अ—68 में बेदखली की कार्यवाही की गई और तहसील न्यायालय के द्वारा आवेदक को अतिक्रामक मान कर इस भूमि से उनको बेदखल करने का आदेश पारित किया गया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, सबलगढ़ के समक्ष प्रथम अपील पेश की गई और अपील के साथ में संहिता की

धारा 52 के अन्तर्गत स्थंगन आदेश लिये आवेदन पेश किया गया । अनुविभागीय अधिकारी, सबलगढ़ के द्वारा स्थंगन संबंधी आवेदन अस्वीकार कर दिया गया, जिसके विरूद्ध अधीनस्थ कलेक्टर न्यायालय में निगरानी पेश की गई, जो उनके द्वारा आदेश दिनांक 16.11.99 से अस्वीकार कर दी गई । इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय निगरानी न्यायालय आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष प्रस्तुत की गई है। आयुक्त न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 97/99–00/निगरानी पर पंजीबद्ध किया गया, तथा पारित आदेश दिनांक 21.08.2000 द्वारा कलेक्टर, मुरैना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.11.99 को स्थिर रखा गया एवं निगरानी अस्वीकार की गई । इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई ।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि आयुक्त एवं कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखा है । प्रकरण में स्थंगन के सम्बन्ध में प्रतिपादित सिद्धांतों एवं वरिष्ठ न्यायालयों के अभिर्निधारणाओं पर भी कोई विचार नहीं किया । जब कब्जे का विवाद है तथा आवेदक का विवादित भूमि पर कब्जा है तब प्रथम दृष्टया प्रकरण आवेदक के पक्ष में होकर सुविधा सन्तुलन उसके पक्ष में होता है तथा कब्जा हटाये जाने से उसे अपूर्णीय हानि की सम्भावना होती है। ऐसी स्थिति में कब्जे के सम्बंध में स्थंगन आदेश दिया जाना न्यायोचित है । जब प्रकरण वरिष्ठ न्यायालय में विचारणधीन है तथा वरिष्ठ न्यायालय द्वारा यथास्थिति का स्थंगन आदेश दिय गया है तब अपील में स्थंगन आदेश निरस्त करना न्यायोचित नहीं है । अनुविभागीय अधिकारी ने अपने न्यायिक विवेक का सही उपयोग नहीं किया, इसलिये त्रृटिपूर्ण आदेश को स्थिर रखने में कलेक्टर एवं आयुक्त ने भूल की है । अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किया जावे।

4/ अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ मेरे द्वारा आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अवलोकन करने पर पाया गया कि यह विवाद शासकीय भूमि से संबंधित है । शासकीय भूमि पर आवेदक के द्वारा अतिक्रमण किया जाना सिद्ध है और अब वह बेदखली का आदेश होने के बाद तरह–तरह के आधार लेकर अतिक्रमण

हटाने की कार्यवाही को रूकवा रहा है और इस कारण ही उसकी यह निगरानी लगभग 5 साल कलेक्टर न्यायालय में लंबित बनी रही है । आवेदक के द्वारा इस भूमि पर अपने स्वत्व को स्थापित नहीं किया गया है और वह इसकी काबिल काश्त करा कर अपने पुराने अतिक्रमण के आधार पर भूमि को अपने स्वत्व को स्थापित कराने की कार्यवाही कराना चाहता है, जिसकी कि उसको पात्रता नहीं है । वैसे भी शासकीय भूमि के मामले में स्थंगन आदेश पारित किया जाना प्रतिबंधित है । अतएव अनुविभागीय अधिकारी एवं कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश में कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । इस संबंध में आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना ने भी विस्तृत आदेश पारित किया है तथा अपने आदेश दिनांक 21–08–2000 द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को यथावत रखा है । मैं आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाता हूँ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों अनुविभागीय अधिकारी, सबलगढ़, कलेक्टर, मुरैना एवं आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के द्वारा समवर्ती निष्कर्ष में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता न होने से स्थिर रखे जाते है । फलतः निगरानी आधारहीन एवं महत्वहीन होने से निरस्त किया जाता है । तत्पश्चात पक्षकार सूचित हों । प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर